संख्या–510 / 2023 / 3192 / 41–2023–38(बजट) / 2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 17 जुलाई, 2023**

विषयः–माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरीडोर के विस्तारीकरण / सुन्दरीकरण योजनान्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–7653 / 6–1–1(1072) / 2022–23, दिनांक 16.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरीडोर के विस्तारीकरण / सुन्दरीकरण योजनान्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण कार्य के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ टिप्पणी / प्रस्ताव उपलबध कराया गया है।

2– जनपद मिर्जापुर में स्थित विन्ध्यांचल एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, जो देवी विन्ध्यवासिनी को समर्पित है। माँ विन्ध्यवासिनी देवीमंदिर, भारत के प्रमुख देवी मंदिरों में से एक है। शुम्भ–निशुम्भ नामक दैत्यों का वध करने वाली माँ विन्ध्यवासिनी देवी, यहॉ महालक्ष्मी स्वरूप में विराजमान हैं। त्रिकोण दर्शन में माँ विन्ध्यवासिनी देवी, माँ अष्टभुजा, माँ कालीखोह का दर्शन की असीम मान्यता श्रद्धालुओं के मध्य हैं। माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मीरजापुर से 08 कि0मी0, वाराणसी से 70 कि0मी0, प्रयागराज से 85 कि0मी0 तथा राजधानी लखनऊ से 283 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

3– यह महातीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन, पूजन, मुण्डन एवं जनेऊ संस्कार इत्यादि के लिए आते हैं। माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर वर्ष के दोनों नवरात्रों (शारदीय एवं वासंतिक) में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। यहाँ श्रद्धालु कम से कम एक दिन अधिकतम दो दिन के लिए रात्रि विश्राम माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर के समीप बने होटलों, धर्मशालाओं एवं पुरोहितों के घरों में करते हैं। यात्री सभी प्रकार के साधनों यथा बस, ट्रेन एवं निजी वाहनों से माँ विन्ध्यवासिनी देवी के मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। समीपस्थ नेशनल हाई–वे एन0एच0–35 एवं समीपस्थ रेलवे स्टेशन विन्ध्यांचल एवं मीरजापुर हैं।

4– जनपद मीरजापुर में माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गों में से अति महत्वपूर्ण मार्ग कोतवाली गली (शेष भाग) का विस्तार किये जाने हेतु माँ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर (परिक्रमा पथ) से लगे 04 प्रमुख मार्गो से संबंधित आवश्यक भूमि को क्रय करने एवं परिसम्पत्तियों का मुआवजा दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–177/2021/510/41–2021–03(सा0)/2020, दिनांक 25–02–2021 द्वारा रू0 3370.61 लाख की एक मुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को जिलाधिकारी, मीरजापुर के निवर्तन पर रखा गया है। माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर से जुड़े हुए 04 प्रमुख मार्गो से संबंधित आगणित धनराशि की स्वीकृति हो चुकी है तथा इन मार्गो में से कोतवाली गली जो 50 फीट परिक्रमा पथ से जुड़ा हुआ है, के 100 फीट लम्बाई व 35 फीट चौड़ाई का प्रस्तावित आगणन स्वीकृत हो चुका है तथा प्राप्त आगणित धनराशि से प्रभावित व्यक्तियों से आपसी समझौते के आधार पर विक्रय विलेख निष्पादित कराया जा रहा है।

5– प्रकरण में अवगत कराना है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3/2021/ए–2–334/10–2021–24 (7)/95, दिनांक 19–08–2021 के अनुलग्नक में विभागाध्यक्ष को भवनों के विध्वंस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 5.00 लाख रूपये तक के खाता मूल्य तक प्राविधान तथा प्रशासनिक विभाग को 5.00 लाख रूपये से अधिक एवं 10.00 लाख के खाता मूल्य तक का प्राविधान उल्लिखित है। जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक–157/प0के0मी0/विंध्यकारीडोर/2022, दिनांक 25–05–2022 में माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरिडोर के विस्तारीकरण/ सौंदर्यीकरण परियोजनान्तर्गत आने वाले पार्सल–1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जनसुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण एवं मलबा निस्तारण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 19–08–2021 में कोई प्राविधान उल्लिखित नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरीडोर के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजनान्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण में आने वाले व्यय रू0 63.05 लाख पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

6– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरीडोर के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण योजनान्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि पर निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण कार्य के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.07.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) माँ विन्ध्यवासिनी देवी कॉरीडोर के विस्तारीकरण/सौंदर्यीकरण परियोजना के अन्तर्गत आने वाले पार्सल 1, 2, 2ए, 3, 3ए, 4, 5 में जन सुविधाओं के निर्माण स्थल पर पड़ने वाले अतिरिक्त भूमि पर पूर्व निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण और मलबा निस्तारण कार्य हेतु कुल रू0 63.05 लाख का व्यय किया जाना।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

7– प्रकरण में निम्नलिखित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः–

''वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1, खण्ड–5 व लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट–2 (भवन) के साथ ही समय–समय पर इस हेतु निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा। बट्टे खाते में डाले जाने की कार्यवाही वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में जारी वित्त (लेखा)अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2/2027/ए–2–1235–दस–2017–24 (7)/95, दिनांक 12.12.2017 तथा शासनादेश सं0–3/2021/ए–2–334/दस– 2021–24(7)/95, दिनांक–19.08.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।''

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मेश्राम मुकेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
   वित्त विभाग/न्याय विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र 0 शासन।
5. आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
6. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
7. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
9. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रा0खं0), मीरजापुर।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मीरजापुर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।